न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/114

1. वन विभाग राजस्थान जरिये उपवन अधिकारी महोदय बून्दी ।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कजोडी आयु 40 वर्ष पुत्री धन्ना पत्नी लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रवि कुमार आयु 16 वर्ष गोद पुत्र धन्ना जाति मेघवाल अवयस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती कजोडी पत्नी लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. दुर्गा पुत्री धन्ना पत्नी मोहन मेघवाल निवासी ग्राम बाण्डी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. पैरोकार सरकार, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 03.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिया श्रीमती कजोडी एवं अप्रार्थिया श्रीमती दुर्गाबाई सगी बहिनें

हैं उनके पिता धन्ना आत्मज श्रीकिशन का दिनांक 17.03.2008 को निधन हो गया है । धन्ना जी की पत्नी का उनके जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो गया था । धन्ना जी के कोई पुत्र संतान नहीं थी । इस कारण धन्ना जी ने अपने जीवनकाल में ही बसन्त पंचमी सन् 2007 को रिश्तेदारों समाज के व्यक्तियों के समक्ष ग्राम मराडी में अपनी पुत्री प्रार्थिया श्रीमती कजोडी के पुत्र प्रार्थी कम 02 रवि कुमार को जाति रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था । धन्ना जी के स्वर्गवास के उपरान्त उनका कियाकर्म प्रार्थी रविकुमार ने ही पुत्र की भांति किया । धन्ना जी ने अपनी पुत्री कजोडी को विवाह के उपरान्त पति सहित घर जवाई के रूप में सेवा सुश्रुषा के लिए रख लिया था । धन्ना जी के घर में रहते हुए ही वादी रवि कुमार का जन्म हुआ । धन्ना जी की दूरी पुत्री दुर्गा बाई है जो अपने ससुराल निवास करती है । स्वर्गीय धन्ना जी ने भूमि पुराना खसरा नम्बर 253 ग्राम मराडी में से 15 बीघा भूमि पडत से फाडकर आबाद की थी व मेहनत करके काबिल काश्त बनाया था वह भूमिहीन काश्तकार था इस कारण दिनांक 08.07.1971 को भू–आवंटन परामर्शदात्री समिति हिण्डोली ने उसके कब्जे काश्त की उक्त 15 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक प्रदान करते हुए आवंटित कर दी थी । इस भूमि पर धन्ना जी की मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर ही उनका मकान बना हुआ है । स्व0 भूरा आत्मज श्रीकिशन जाति बलाई मेघवाल ने पुराना खसरा नम्बर 253 ग्राम मराडी में से 15 बीघा भूमि पडत से फाडकर आबाद की थी तथा उक्त भूमि पर सिंचाई के लिए एक कुआ भी खुदवाया था । स्व0 धन्ना एवं स्व0 भूरा को आवंटित कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 253 का वर्तमान खसरा नम्बर 356, 356/486 एवं खसरा नम्बर 356/487 बना है । स्व0 धन्ना को आवंटित 15 बीघा भूमि की वैधानिक खातेदार प्रार्थी कम 01 हिस्सा 1/3, प्रार्थी कम 02 हिस्सा 1/3 एवं अप्रार्थी दुर्गाबाई हिस्सा 1/3 समान एवं संयुक्त रूप से हैं तथा स्वर्गीय भूरा को आवंटित 15 बीघा भूमि की वैधानिक खातेदार प्रार्थिया कजोडी बाई हिस्सा 1/3 वादी कम 02 हिस्सा 1/3 तथा अप्रार्थी श्रीमती दुर्गाबाई हिस्सा 1/3 हैं । इसी अनुसार वादीगण अपने आपको खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं । अप्रार्थी कम 2 व 3 के कर्मचारी आये दिन प्रार्थीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण ने मकान भी बना रखे हैं जिनमें वो निवास करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण को जबरन उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भू–भाग से बेदखल नहीं करे, खड्डे नहीं खेदे, पौधे नहीं लगावे खाई नहीं लगावे और प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण कम 2 लगायत 4 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 01 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

5. अप्रार्थी कम 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.04.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2017 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म करने का आदेश पारित किया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के कथनों व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है, जबकि वाद के अधीन भूमि वन विभाग की भूमि है और वैधानिक रूप से वन विभाग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने कानून के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । वादग्रस्त आराजी के वास्तविक स्वामी अपीलान्ट हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी थी । अपीलान्टगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त की थी । जिस पर उसी दिन नकल प्राप्ति हेतु आवेदन किया जिस पर नकल प्राप्त की । नकल प्राप्ति के पश्चात् कोविड–19 के तहत सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन हो जाने के कारण उक्त अपील समय पर पेश नहीं कर सके थे । इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्टगण की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 17.07.2017 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी । तत्पश्चात् दिनाक 03.04.2019 को उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के कथनों व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है, जबकि वाद के अधीन भूमि वन विभाग की भूमि है और वैधानिक रूप से वन विभाग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने कानून के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 253 वन विभाग के नाम गजट नोटिफिकेशन में दर्ज है । उक्त भूमि को वन कार्यो से अलावा न तो आवंटित किया जा सकता है और न ही गैरवानिकी कार्य किया जा सकता है । रेस्पोडेन्टगण अतिकमी है ओर अतिकमी को कानूनन किसी भी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । उक्त भूमि वन विभाग की भूमि होने से अपीलान्टगण को उक्त भूमि में वैधानिक रूप से खड्डे खुदवाना, पौधे लगवाना और वानिकी कार्य करने का पूर्ण

अधिकार है । अपीलान्टगण द्वारा उक्त भूमि में फेसिंग व खड्डे खुदाई का कार्य वर्ष 2016–17 में ही पूर्ण कर लिया गया था । अपीलान्टगण द्वारा लगाये गये पौधों को रेस्पोडेन्टगण द्वारा उखाड दिया गया है । इस सम्बन्ध में अपीलान्टगण द्वारा भी रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया था । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि थी जिसे रेस्पोडेन्टगण के पूर्वजों के फाडकर काबिज काश्त बनाया था । उक्त भूमि 08.07.1971 को भू–आवंटन परामर्शदात्री समिति हिण्डोली ने उसके कब्जे काश्त की भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक प्रदान करते हुए आवंटित कर दी थी । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्टगण के मकान आदि बने हुए हैं । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । रेस्पोडेन्टगण के पूर्वजों के पक्ष में आवंटित भूमि को किसी भी अपीलीय न्यायालय को उनके पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया है । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्टगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थीगण अपीलान्ट का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2019 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि उस समय कोराना महामारी थी । माननीय उच्च न्यायालय के नोटिस दिनांक 29.09.2021 की रोशनी में कोराना महामारी के कारण डिले में कण्डोन किये जाने बाबत् आदेश हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति राजस्थान सरकार राजस्व विभाग की आज्ञा क्रमांकः एफ 7 (103)राज/71 दिनांक 25.05.1971 संलग्न है । फोटो प्रति राजस्व विभाग की विज्ञप्ति जयपुर दिनांक 21 नवम्बर, 1957 संलग्न है । फोटो प्रति कार्यालय सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी कोटा द्वारा जारी खसरा वन बन्दोबस्त बाबत् वनखण्ड ग्राम मराडी संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 253 रकबा 59 बीघा 07 बिस्वा भूमि वनखण्ड की सूची में अंकित है । फोटो प्रति कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी हिण्डोली के पत्र दिनांक 31.07.2017 संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 संलग्न है जिसके अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 356 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 356/486 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 356/487 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि महकमा जंगलात (राजकीय वन) के नाम खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2017–20 में खसरा नम्बर 253 मिन रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा भूमि राजकीय पडत किस्म झाडीदार वन के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है ।

14. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश दिनांक 08.07.1971 से धन्ना पुत्र किशन तथा भूरा पुत्र किशन दोनों भाईयों को खसरा नम्बर 253 में से 15–15 बीघा भूमि आवंटन की गई थी । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2017–20 के अनुसार उक्त भूमि राजकीय भूमि थी जिसकी किस्म झाडीदार वन अंकित है । पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21.11.1957 में ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के सीमा क्षेत्र के वर्णन है तथा फोटो प्रति कार्यालय सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी कोटा द्वारा जारी खसरा वन बन्दोबस्त बाबत् वनखण्ड ग्राम मराडी संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 253 रकबा 59 बीघा 07 बिस्वा भूमि वनखण्ड की सूची में शामिल है । यहॉ यह महत्वपूर्ण बिन्दु है कि पत्रावली में उपलब्ध भूमि आवंटन के सम्बन्ध में पटवारी की जॉच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 10 में उक्त आवंटित भूमि को चारागाह व महकमा जंगलात में नहीं होना अंकित किया गया है । अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को आवंटन योग्य माना गया था तथा उक्त आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गजट नोटिफिकेशन 1957 का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि उक्त नोटिफिकेशन के साथ संलग्न हस्तलिखित सूची/अनुसूची नोटिफिकेशन का भाग नहीं है अपितु, अलग है । हमने उक्त नोटिफिकेशन तथा उसके साथ प्रस्तुत सूचियों की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया जिस सूची में विवादित खसरा नम्बर अंकित है उन सूचियों पर कहीं भी प्रथम/ द्वितीय अनुसूची अंकित नहीं है । यह एक हस्तलिखित सूची है जिसके अंत में सन् 1979 के हस्ताक्षर हैं । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सूची का निर्माण 1979 के लगभग हुआ है जबकि भू आवंटन दिनांक 08.07.1971 का है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा होना प्रतीत होता है तथा परीक्षण न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर कब्जा माना है । विवादित आराजी के चारों ओर कृषि भूमि होना विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया है तथा परीक्षण न्यायालय में दस्तावेज भी पेश किये हैं, इसका खण्डन भी रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2028 के अनुसार खसरा नम्बर 253 मिन कुल रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा बिला नाम भूमि मे से आंशिक भू–भाग 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काश्त होना अंकित है । इसी फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् अपठित खसरा नम्बर 253 मिन के आंशिक भू–भाग पर काश्त अंकित है । पृष्ठ संख्या 84 पर संलग्न फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024 के अनुसार खसरा नम्बर 253 मिन कुल रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा बिला नाम भूमि पडत दर्ज है । इस प्रकार उक्त भूमि राजकीय भूमि ही है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट अथवा वन विभाग द्वारा स्वयं के कब्जे के कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । उक्त भूमि का कब्जा/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा भी पूर्व में किसी प्रकार का नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया गया है । विवादित आराजी के सम्बन्ध में सही तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य व गवाहों के पश्चात् अंतिम निर्णय मूल वाद में किया जावेगा । अतः तब तक यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है । वर्तमान स्तर पर केवल प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर प्रकरण को देखा जाना है । उक्त तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रतीत होते हैं । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिमसें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2019 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा